

2021/22

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

पुश्ताखण्ड गांवोले (राजस्थान) 2021

श्री. ह. कुंवा
80-182/2021
23-11-21

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू.अ.नि. 215/2011 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला की जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	आमलेय	87	नाथु पुप सूंचा	नं. 87 उर्क नाथु पुप सूंचा शे.म. 5-5-14 यथावत सदतुर 2016-17

(मन मोहन)

पीठासीन अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
राजस्थान न्यायालय
पदेन सहा. कलक्टर

कमांक :- 790-791

दिनांक :- 23/11/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर प्रारंभिक रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
राजस्थान न्यायालय
पदेन सहा. कलक्टर

लादीश, 9/11/21